

दिनांक: 24/04/2025

पत्रांक संख्या: UD/Pm434/07

सेवा में,

उप निदेशक/ उप वन संरक्षक  
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून

विषय: जनपद- पौड़ी गढ़वाल में नौड़खाल माला से सिरासू मोटर मार्ग ८ ऑनलाइन प्रस्ताव  
संख्या: FP/UK/ROAD/11142/2015

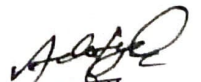
सन्दर्भ: पत्रांक संख्या: 989/12-1 देहरादून, दिनांक: 21.04.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा 03 बिन्दुओं पर आख्या चाही गयी थी, जिसकी विभाग को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं थी। दिनांक: 21.04.2025 को राजाजी टाइगर रिजर्व देहरादून में बैठक आयोजित की गयी थी जिसके दौरान अवगत हुआ था जिसका उत्तर निम्नवत है;

| शर्त की बिंदु संख्या | शर्त का विवरण                                                                                                                                             | उत्तर                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | The State Forest Department shall ensure that black topping of road shall not be started before Stage-2 approval.                                         | प्रयोक्ता एजेंसी/ कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग पर ब्लैक टॉपिंग का कार्य अतिथि तक नहीं कराया गया है।                                                                      |
| 2                    | The State Forest Department shall seek explanation of user agency and submit a report with a reason why the user agency has not attended the REC meeting. | दिनांक: 24/01/2024 को आयोजित आर०ई०सी० की बैठक की जानकारी प्रयोक्ता एजेंसी/ कार्यदायी संस्था नहीं प्राप्त थी जिस कारण प्रयोक्ता एजेंसी/ कार्यदायी संस्था द्वारा प्रतिभाग नहीं किया जा सका। |
| 3                    | Displeasure of REC may be conveyed to the User Agency for not being present in the meeting.                                                               | प्रयोक्ता एजेंसी/ कार्यदायी संस्था द्वारा पुष्टि की जाती है कि भविष्य में बैठक में प्रतिभाग न करने की पुर्नवृत्ति नहीं की जाएगी।                                                          |

धन्यवाद,

  
भवदीय,

पी०आई०यू० दुगडा





फोन / फैक्स : 0135-2621669 ई-मेल : director.rajaji@gmail.com

## कार्यालय-उप निदेशक / उप वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।

5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

सेवा में,

पत्रांक

511 / 12-1

देहरादून,

दिनांक 12-05-2022

✓ अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद-पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल-माला-कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग (लम्बाई-13.00किमी0) के निर्माण हेतु 8.821है0 (Earlier proposed 9.541है0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/Road/11142/2015

सन्दर्भ :-  
महोदय,

आपका पत्रांक 2500 / FP/UK/Road/11142/2015 दिनांक 19 मई, 2020

आपके उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी / अधिशासी अभियन्ता, PMGSY द्वारा विषयांकित वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/201/2019/एफ0सी0/06, दिनांक 29-04-2020 द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन आख्या अपनी पत्र सं0 447/PMGSY/2021/24 दिनांक 07-04-2021 (प्रति संलग्न) द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रेषित की गयी थी। उक्त प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या तीन प्रतियों में (मूल/स्कैन) आपको इस कार्यालय की पत्र संख्या 439/12-1, दिनांक 06-05-2021 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रेषित की गयी है।

उक्त विषयक प्रकरण में सक्षम / भारत सरकार के स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण प्रयोक्ता एजेन्सी / अधिशासी अभियन्ता, PMGSY द्वारा अपनी पत्र सं0 447/PMGSY/2022/203 दिनांक 07-05-2022 (प्रति संलग्न) द्वारा पुनः अनुपालन आख्या की (03) तीन स्कैन प्रति इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। जिन्हें मूल में अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में विधिवत् स्वीकृति हेतु अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न - उक्तानुसार।

पर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी  
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड  
देहरादून  
रजि0 सं0 215 5636  
प्रावली 19-5-22  
दिनांक 19-5-22

भवदीय

(अमित कंवर भा.व.से.)

उप निदेशक / उप वन संरक्षक  
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक

511 / दिनांकित।

प्रतिलिपि -

निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक / वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता, PIU, Dugadda, PMGSY Works, Pauri Gahwal को उनके उक्त पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज।

(अमित कंवर भा.व.से.)

उप निदेशक / उप वन संरक्षक  
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

सा.अ. प्रभारी पौड़ी  
आ.का.का. 1  
प्रमुख वन संरक्षक



# अधिशाली अभियंता

पी०आई०यू० दुगड्डा, जनपद- पौडी गढवाल

Ref. No. : 447/PMGSY/2021/24

Date : 7.04.2021

सेवा में,

उप निर्देशक

राजाजी टाइगर रिजर्व,

देहरादून

विषय: जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नोडखाल माला से सिरासू प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/11142/2015) सैद्धांतिक स्वीकृति शर्तों की अनुपालन आख्या

महोदय,

निवेदन इस प्रकार है कि उपरोक्त विषय पर पूर्व में सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई थी जिसकी अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जा रही है। प्रयोक्ता विभाग सार्वजनिक भूमि का अनुपालन करेगा। जो कि निम्न है।

1. शर्त संख्या 1 के अनुपालन में विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी
2. शर्त संख्या 2 के अनुपालन में परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि का म्यूटेशन संपन्न करा दिया गया है
3. शर्त संख्या 3
  - शर्त संख्या 3 (क) के अनुपालन में 17.642 हेक्टेयर सिविल भूमि खसरा 714,735,737,756 ग्राम माला एवं खसरा संख्या 1140,1141 ग्राम कोटा में प्रतिपूरक वनीकरण के लिए उपयुक्त वन विभाग द्वारा मांगी गई धनराशि जमा करा दी गई है
  - 3(ख) के अनुपालन में गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरण एवं रूपांतरित कर दिया गया है इस संबंध में गैर वन भूमि का म्यूटेशन राज्य वन विभाग के पक्ष में करा दिया गया है
4. शर्त संख्या 4 के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर वन विभाग द्वारा डिमांड नोट में आवश्यक धनराशि जमा करा दी गई है एवं यदि कोई धनराशि इस विषय में मांगी जाती है तो वह वन विभाग को प्रदान करा दी जाएगी
5. शर्त संख्या
  - 5(क) के अनुपालन में वन विभाग द्वारा दिए गए डिमांड नोट के अनुसार एनपीवी एवं दूसरी सभी धनराशि जमा करा दी गई है (प्रति संलग्न)
  - 5(ख) के अनुपालन में विभाग द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है (प्रति संलग्न)
6. शर्त संख्या 6 के अनुपालन में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम किया गया है जिसकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 522 पेड़ों से कम है एवं पेड़ राज्य वन विभाग के निर्देश में काटे जाएंगे एवं विभाग द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी
7. शर्त संख्या 7 के अनुपालन में डीएफओ द्वारा CA area की उपयोगिता का प्रमाण पत्र पूर्व में ही दिया गया है (प्रति संलग्न)
8. as per condition 8 user agency is committed for the cutting of trees will be done the stage II approval as per guidelines para 11.2 and user agency is committed to follow all the the condition mentioned
9. शर्त संख्या 9 के अनुपालन में परियोजना के तहत प्रयोक्ता अधिकरण ने प्राप्त धनराशि ई पोर्टल (<https://parivesh-nic-in/>) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थान स्थानांतरित/जमा की गई है

Project Office: PIU- DUGADDA, PMGSY works , Near Rasta cafe Vill. aamsaur , P.O.: Dugadda Distt. Pauri Garhwal Email: [npccdugadda@gmail.com](mailto:npccdugadda@gmail.com)

Zonal Office : 98, Nehru colony, Dehradun, Uttarakhand 248001 Email: [npccnwwz@gmail.com](mailto:npccnwwz@gmail.com)

Tel. No. 0135- 2675725



# अधिशालसी अभियंता

पी०आई०यू० दुगड्डा, जनपद- पौड़ी गढ़वाल

Ref. No. : 447/PMGSY/

Date :

10. शर्त संख्या 10 के अनुपालन में FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन पर संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करा दिया गया है ( also uploaded online in part I point K )
11. शर्त संख्या 11 के अनुपालन में आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारे एवं बीच में पौधों की संख्या बढ़ाई जाएगी
12. शर्त संख्या 12 के अनुपालन में सुरक्षित क्षेत्रों एवं वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के बीच गति विनियम चाइनीस लगाए जाएंगे
13. शर्त संख्या 13 के अनुपालन में सिफारिशों के अनुसार प्रोक्ता अधिकरण सुरक्षित क्षेत्र में अंडर पास एवं ओवरपास बनाए जाएंगे
14. शर्त संख्या 14 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार, पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जाएगी
15. शर्त संख्या 15 के अनुपालन में केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का लेआउट प्लान नहीं बदला जाएगा
16. शर्त संख्या 16 के अनुपालन में वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा
17. शर्त संख्या 17 के अनुपालन में प्रोक्ता अधिकरण द्वारा मजदूरों को राजकीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानून स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषता वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा
18. शर्त संख्या 18 के अनुपालन में संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी के निर्णय दिशानिर्देश अनुसार प्रत्यावितरित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा एवं यदि यहां वन विभाग द्वारा किया जाएगा तो इस कार्य हेतु उचित धनराशि विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान की जाएगी
19. शर्त संख्या 19 के अनुपालन में परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा
20. शर्त संख्या 20 के अनुपालन में इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रोक्ता अधिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो कि कम हो, लक्षित किया जाएगा
21. शर्त संख्या 21 के अनुपालन में वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनीदिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जाएगा
22. शर्त संख्या 22 के अनुपालन में केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी
23. शर्त संख्या 23 के अनुपालन में इनमें से किसी भी शर्त उल्लंघन नहीं किया जाएगा यदि किसी अनुपालन, शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा निर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC Dated 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी
24. शर्त संख्या 24 के अनुपालन में पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तों लागू होगी
25. शर्त संख्या 25 के अनुपालन में रिपोर्ट ई पोर्टल (<https://parivesh.nic.in/>) पर अपलोड की जाएगी

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त प्रकरण पर विधिवत स्वीकृति प्रदान करने हेतु अग्रिम कार्यवाही करने की कृपा करें धन्यवाद

कार्यालय उप वन संरक्षक/उप निदेशक  
पंजीकृत क्रमांक 674  
पत्रावली संख्या 12-1  
दिनांक 07.04.2021  
संवेष्टित आओ करो।  
आख्या देवे।

उप वन संरक्षक/उप निदेशक

भवदीय

जोगिन्दा  
अधिशालसी अभियंता  
PMGSY DUGADDA  
PAURI GARHWAL (UK)  
7.04.2021

Project Office: PIU- DUGADDA, PMGSY works, Near Rasta cafe Vill. aamsaur, P.O.: Dugadda Distt. Pauri Garhwal Email: [npccdugadda@gmail.com](mailto:npccdugadda@gmail.com)

Zonal Office : 98, Nehru colony, Dehradun, Uttarakhand 248001 Email: [npccnwz@gmail.com](mailto:npccnwz@gmail.com)  
Tel. No. 0135- 2675725



पत्रांक संख्या: 447/PMGSY/2022/203

दिनांक: 07/05/2022

सेवा में,

उप निर्देशक

राजाजी टाइगर रिजर्व,

देहरादून

विषय: जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत PMGSY के नौइखाल माला से सिरासू मोटर मार्ग  
(प्रस्ताव संख्या: FP/UK/ROAD/11142/2015 Dated: 19.05.2020)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या हमारे पत्रांक संख्या: 447/PMGSY/2020/24 दिनांक: 07.04.2021 के द्वारा तीन प्रतियां अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी थी, जिसमें अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तथा प्रेषित प्रकरण आख्या की प्रति वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखंड, देहरादून को भी प्राप्त नहीं हुई है, कार्यवाही न होने के कारण मार्ग के निर्माण में विलम्ब हो रहा है।

मार्ग की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेंसी/ पी०आई०यू० दुगड़डा, पौड़ी गढ़वाल द्वारा तीन प्रतियां दोबारा से कार्यवाही हेतु प्रेषित के जा रही है।

अतः महोदय से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

धन्यवाद

सलंगन: तीन प्रतियाँ

कार्यालय उप वन संरक्षक/उप निदेशक  
पंजिका क्रमांक 1581  
पत्रावली संख्या 12-1  
दिनांक 09.05.2022  
स.वि.म.द. आ० का० करें।  
आख्या दें।

उप वन संरक्षक/उप निदेशक

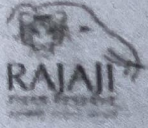
मूल में सर्वेयर शाखा को अग्रेतर  
कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय  
अधिसासी अभियंता  
पी०आई०यू० दुगड़डा

प्रतिलिपि:

- वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय उत्तराखंड, देहरादून





फोन/फैक्स : 0135-2621669 ई-मेल : director.rajaji@gmail.com

**कार्यालय-उप निदेशक/उप वन संरक्षक,  
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।**

5/1, अंसारी मार्ग, देहरादून, 248001

पत्रांक 439/12-1 देहरादून,

दिनांक 6-05, 2021

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-

जनपद-पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल-माला-कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग (लम्बाई-13.00किमी0) के निर्माण हेतु 8.821हे0 (Earlier proposed 9.541हे0) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/11142/2015

सन्दर्भ :-

आपका पत्रांक 2500 / FP/UK/Road/11142/2015 दिनांक 19 मई, 2020

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि विषयांकित वन भूमि के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र) की पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/201/2019/एफ0सी0/06, दिनांक 29-04-2020 के द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेन्सी/ PMGSY द्वारा अपने पत्र सं0 447/PMGSY/2021/24 दिनांक 07-04-2021 के द्वारा तीन प्रतियों में अग्रेतर कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में प्रेषित की गयी है। अनुपालन आख्या की तीन प्रतियां (मूल में) आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

(पुनीत तोमर,IFS)

उप निदेशक/उप वन संरक्षक,  
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक 439/दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्न को उक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक/ वन संरक्षक, राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. अधिशासी अभियन्ता, PIU, Dugadda, PMGSY Works, Pauri Gahwal को उनके उक्त पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. वन्यजीव प्रतिपालक(चीला) रा0टा0रि0।
4. वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज।

(पुनीत तोमर,IFS)

उप निदेशक/उप वन संरक्षक,  
राजाजी टाइगर रिजर्व, देहरादून।



## ॥ आदेश ॥

उपजिलाधिकारी जाखणीखाल ने अपने पत्र संख्या-66/र0का0/2020-21 दिनांक 08 फरवरी 2021 के द्वारा अपनी जांच आख्या से अवगत कराया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नौडखाल माला कोटा से सिरासू मोटर मार्ग हेतु 17.642 है0 सिविल वन भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामांकन किये जाने हेतु उक्त मोटर मार्ग के क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 8.821 है0 के सापेक्ष 17.642 है0 दुगने क्षेत्रफल पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उक्त सिविल भूमि ग्राम माला पट्टी तल्ला ढागू-1 के खसरा नं0-714,735,756 तथा ग्राम कोटा पट्टी तल्ला ढागू-1 तहसील जाखणीखाल के खसरा नं0-1140, 1141 मध्ये 17.642 है0 सिविल भूमि पर वन विभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य किया जाना है जिसके लिये भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त है। ग्राम कोटा के नॉन0जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या-12 जो कि जंगल दर्ज है, खसरा संख्या- 1140 मध्ये 3.889 है0 तथा खसरा संख्या-1141 मध्ये 8.623 है0 कुल 12.512 है0 भूमि प्रस्तावित थी, तथा ग्राम माला के नॉन0जेड0ए0ख0खा0संख्या-14 जो कि झाड़ी के रूप में दर्ज है के खसरा नं0-714, 735,737,756 मध्ये 6.570 है0 सिविल का प्रस्ताव दोनों ग्रामों माला एवं कोटा से 17.642 है0 भूमि पर वृक्षारोपण करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति है। जिस कारण ग्राम माला के खसरा संख्या-714,735,737,756 मध्ये 5.130 है एवं ग्राम कोटा के नॉन0जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या- 12 के खसरा संख्या- 1140,1141 मध्ये 12.512 है0 भूमि स्वीकृत 17.642 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण कर नामान्तरण की कार्यवाही की जानी है।

2- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार, के पत्रांक 08 बी/यू0सी0 पी0/06/201/2019 एफ सी0 दिनांक 29 अप्रैल 2020 के अनुसार बिन्दु संख्या-3 (क) के अनुसार वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 17.642 है0 सिविल भूमि खसरा नं0 714,735,737,756 ग्राम माला एवं खसरा संख्या-1140,1141 ग्राम कोटा में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेसी प्रजातियों का लगाया जाय।

3- शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18(120) देहरादून दिनांक 17 दिसम्बर 2012 के अनुसार विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिये क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित 20 हजार है0 सिविल सोयम भूमि हस्तान्तरण के मामलों में अति शीघ्र कार्यवाही के दृष्टिगत जनपदों द्वारा चिन्हित/प्रस्तावित सिविल सोयम भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरण किये जाने के प्राधिकार जिले के भीतर जिलाधिकारियों को प्रतिनिधित्व करने की महा0राज्यपाल महोदय द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है।

जनपद गढ़वाल के तहसील जाखणीखाल के ग्राम माला के खसरा संख्या-714, 735,737,756 मध्ये 5.130 है0 एवं ग्राम कोटा के नॉन0जेड0ए0 खतौनी खाता संख्या- 12 के खसरा संख्या- 1140,1141 मध्ये 12.512 है0 भूमि कुल स्वीकृत 17.642 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)  
जिलाधिकारी, गढ़वाल।

॥ कार्यालय जिलाधिकारी गढ़वाल ॥  
संख्या- 116 /8-एल0ए0सी0-(2020-2021) दिनांक पौड़ी मार्च 24, 2021  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- सचिव, राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी।
- 4- उप प्रबन्धक, एन0पी0सी0सी0लिमिटेड पी0आई0यू0दुगडडा।
- 5- उपजिलाधिकारी, यमकेश्वर।

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)  
जिलाधिकारी, गढ़वाल।



# अधिशाली अभियंता

पी०आई०यु० दुगडा , जनपद- पौडी गढवाल

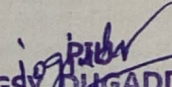
Ref. No. : 447/PMGSY/

Date :

जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नोडखाल माला से सिरासू प्रस्ताव संख्या  
FP/UK/ROAD/11142/2015

## शपथपत्र शर्त संख्या 5(ख)

शर्त संख्या 5(ख) के अनुपालन विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, प्रोक्ता अधिकरण द्वारा राज्य सरकार को जमा करा जाएगा

  
PMGSY DUGADDA  
PAURI GARHWAL (UK)  
पी०आई०यु० दुगडा



## AGENCY COPY



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-01-2021

|                  |                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------|
| Agency Name.     | EXECUTIVE ENGINEER                                  |
| Application No.  | 6111142408                                          |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/201/2019/FC/06                            |
| Location.        | UTTARANCHAL                                         |
| Address.         | Irrigation Division, PMGSY,<br>KotdwarPauri Garhwal |
| Amount(in Rs)    | 44584580/-                                          |

Amount in Words :Four Crore Forty-Five Lakh Eighty-Four  
Thousand Five Hundred and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Beneficiary Name:                      | UTTARANCHAL CAMPA       |
| IFSC Code:                             | Pay to Account No.      |
| Valid only for this<br>challan amount. | Bank Name &<br>Address: |

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

## BANK COPY



## NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 16-01-2021

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Agency Name.     | EXECUTIVE ENGINEER                                   |
| Application No.  | 6111142408                                           |
| MoEF/SG File No. | 8B/UCP/06/201/2019/FC/06                             |
| Location.        | UTTARANCHAL                                          |
| Address:         | Irrigation Division, PMGSY,<br>Kotdwar Pauri Garhwal |
| Amount(in Rs)    | 44584580/-                                           |

Amount in Words :Four Crore Forty-Five Lakh Eighty-Four  
Thousand Five Hundred and Eighty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following  
details;

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Beneficiary Name:                      | UTTARANCHAL CAMPA       |
| IFSC Code:                             | Pay to Account No.      |
| Valid only for this<br>challan amount. | Bank Name &<br>Address: |

- This Challan is strictly to be used for making  
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through  
Email: [helpdeskampa@corpbank.co.in](mailto:helpdeskampa@corpbank.co.in)

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated  
even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to  
Email: [cb0371@unionbankofindia.com](mailto:cb0371@unionbankofindia.com)



पत्रांक 191 / 12-1 दिनांक, देहरादून 14 जुलाई 2020  
सेवा में,

✓ अधिशासी अभियन्ता

पी0एम0जी0एस0वाई0,

पी0आई0यू0, दुगडा, पौडी गढवाल।

विषय:- जनपद पौडी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नीडहाल-मालाकोटा से शिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 8.821 हे० (earlier proposed 9.541 ha.) वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/06/201/2019/एफ०सी०/06 दिनांक 29.04.2020 एवं आपका पत्रांक 447/PMGSY/2020/52 दिनांक 17.06.2020

महोदय,

उपरोक्त विषय में इस कार्यालय के पत्रांक 4343/12-1 दिनांक 11.05.2020 द्वारा निर्गत डिमान्ड नोट को आपके संदर्भित पत्र के क्रम में निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है :-

| क्र० सं०                              | जिसमें घनराशि जमा की जानी है                       | क्षेत्रफल (हे० में) | क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की दर प्रति हे० | कुल घनराशि     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------|
| शर्त संख्या - 3 क्षतिपूर्क वृक्षारोपण |                                                    |                     |                                       |                |
| 1                                     | क्षतिपूर्क वृक्षारोपण                              | 17.642 हे०          | 337184.00                             | 5948600.00     |
| शर्त संख्या - 5 एन०पी०वी०             |                                                    |                     |                                       |                |
| 2                                     | एन०पी०वी० वन भूमि (राजाजी टाईगर रिजर्व) घनत्व 0.1) | 8.821 हे०           | 438000.00 x 10                        | 38635980.00    |
| कुल योग                               |                                                    |                     |                                       | 4,45,84,580.00 |

( रु० चार करोड पैंतालीस लाख बीसवीं हजार पांच सौ अस्सी मात्र )

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ऑनलाइन अपलोड करते हुए 03 प्रतियों में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

6

( डी०के० सिंह )

वन संरक्षक/निदेशक

राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून।

पत्रांक / तददिनांकित

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. उप निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. प्रमाणीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को इस कार्यालय के उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में।

( डी०के० सिंह )

वन संरक्षक/निदेशक

राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून।



## Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

| Sno. | Proposal Detail                                                                                                                      | Application_No             | Application No (New) | Date of IN-PRINCIPLE Rs.) | Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)                                                                                                                                                                             | Payment Status                                                                      | Payment Detail                                                                                                                                                                                          | Demand Letter                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | FP/UK/ROAD/11142/2015<br>(./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/11142/2015)<br>Naudkhal Malakota Road to Sirasu M R                       | ROAD1114220154086111142408 |                      | 29 Apr 2020               | CA: 5948600/- Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- CAT : 0/-<br>Safety 0/- Addl PA : 0/-<br>Zone: 38635980/- Other NPV: Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 44584580/- |  | Fund Demand Verified by : 15 Jul 2020<br>Nodal Officer<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated : 16 Jan 2021<br>On Transaction Date : 21 Jan 2021 | Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/7111412101223N37Xhtml.aspx.pdf)                                                                                      |
| 2    | FP/UK/ROAD/8123/2014<br>(./viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/8123/2014)<br>Construction of Nangoan Bukundi Motor Road Km 15.00 to 21.00 | ROAD81232014278            | 6181230278           | 26 Feb 2020               | CA: 3277428/- Addl CA : 0/-<br>PCA: 0/- CAT : 0/-<br>Safety 0/- Addl PA : 0/-<br>Zone: NPV: 3193020/- Other Charges : 0/-<br>Other Charges1 : 0/-<br>Charges2 : 0/-<br>Other Charges3 : 0/-<br>Total : 6470448/-   |  | Fund Demand Verified by : 30 Jun 2020<br>Nodal Officer<br>Bank Name : Corporation Bank<br>Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan)<br>Challan Generated : 01 Jul 2020<br>On Transaction Date : 08 Oct 2020 | Demand Letter (./writereaddata/Fundpdf/6112912491216VOIZ5CamScanner.pdf.pdf)<br>Generated Challan (./UserAccount/Nett_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD81232014278) |



# अधिशालसी अभियंता

पी०आई०यु० दुगड्डा , जनपद- पौड़ी गढवाल

Ref. No. : 447/PMGSY/

Date :

परियोजना का नाम - जनपद पौड़ी गढवाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत  
नोडखाल माला से सिरासू प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/11142/2015

## शपथपत्र शर्त

मार्ग के दोनों ओर उचित वृक्षारोपण की धनराशि वाहन किए जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मोटर मार्ग के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण में जो भी व्यय होगा उसे प्रयोक्ता विभाग द्वारा  
वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जाएगा

*joginder*  
अधिशालसी अभियंता  
PMGSY DUGADDA  
PAURI GARHWAL (U.P.)



FORM-1

1.6 (V)

(for linear projects)

Government of Uttarakhand  
Office of the District Collector-----

No. 1006/26-LAC-2015

Dated-27/02/2015

DR-  
जिलाधिकारी  
गढ़वाल

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 9.54 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department (name of user agency) for Road construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri district falls within jurisdiction of Main Siyoti village (s) in Yamkeshwar tehsils.

DR-  
जिलाधिकारी  
गढ़वाल

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 2.275 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 4 annexure
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (c) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

DR-  
9.54  
जिलाधिकारी  
गढ़वाल

Encl: As above.

Signature 27.2.15  
(Full name and official seal of the District Collector)  
(Chandra Shukher Bhatt)  
District collector Garhwal

जिलाधिकारी  
गढ़वाल



1.6 (VI)

FORM-II

(for projects other than linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

No. 1006/26-LAC-2015

Dated: 27/02/2015

बेस  
जिलाधिकारी  
पुष्पाव

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-99S-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA), for short on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that ~~275~~ 9.54 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Rural Development Department (name of user agency) for Road construction (purpose for diversion of forest land) in Pauri district fall within jurisdiction of ~~Mala Shastri Nagar~~ village (s) in Yamloesha tehsils. It is further certified that:

बेस  
9.54 हे  
जिलाधिकारी  
पुष्पाव

- a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire ~~275~~ 9.54 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Divisional level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 4 annexure.
- b) the proposal for such diversion (with full details of project and its implications in vernacular local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all for all the processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and relief measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of ~~275~~ village(s) is enclosed as annexure 1 to 4 annexure.
- d) the discussion and decision on each proposal had taken place only when the Gram Sabha of the concerned forest-dwellers were present.
- e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as provided under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- f) the rights of Forest Rights Act and Pre-Agricultural communities of the applicant have been carefully ascertained in per section 3 of the FRA.

Encl: A - 4

Signature

of District Collector

जिलाधिकारी  
पुष्पाव



## ANNEXURE.....

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER  
DISTRICT:- PAURI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA), 2006.

A meeting of the district level committee of Pauri district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Mrs. Miss. C. S. Bhatl I.A.S deputy commissioner, Sarhwal on dated 27-2-15 at time 2:00PM at Pauri in which application claiming rights in area measuring 8.54 hect for the construction of 9.541 ha. Km. 13.50 Malakoto Motor Road to Male Sirase. Motor Road of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Yamkeshwar sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose

Place: Pauri  
Dated: 27/02/2015

DRS  
**जिलाधिकारी**  
**मकुवाल**

27/2/15  
Deputy Commissioner-Chairman  
District Level Committee

**जिलाधिकारी**  
**मकुवाल**



1.6 (VII)

It is Further Certified that - Minutes of Meeting of Construction of Mala Kora Motor Road to Sirasu..... Road (13.00 Km) regarding FRA is as following :

| Ser. No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Remark                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a)      | The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been Carried out for the entire 3541. hectares of forest area proposed for Diversion. A copy of record of all Consultations and meeting of the Forest Right Committee(s), Sub Division Level Committee(s) are enclosed as annexure. | Yes Copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.                                                                                                                          |
| (b)      | The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Completed and the Gram Sabhas have been given consent to it.                                                                                                                                 | Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to Scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No Objection Certificate concerned villages regarding construction of aforesaid construction of motor road is attached. |
| (c)      | The Proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural Communities.                                                                                                                                                                                                           | Yes Copy of records attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.                                                                                                                         |

जिला पंचायत सदस्य  
अभि रतना  
नीता राणा  
सदस्य जिला पंचायत  
12 भादसी  
पीडी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

जिला पंचायत सदस्य, धर्मपुरी  
पीडी गढ़वाल

प्रभागीय पंचायतकारी  
भूमि संरक्षण वन प्रभाग  
लेन्सबीन

अधिलेखनीय अधिकारी  
पं. जिला पंचायत (उत्तराखण्ड)  
मि. डा. स. वि. शा. नं. 01/01/01/01/01  
कोटद्वार (पीडी गढ़वाल)

25.2.2015  
जिलाधिकारी  
(पंचायत मंडल)  
जिलाधिकारी  
पीडी (गढ़वाल)

DR-  
जिलाधिकारी  
गढ़वाल

FORWASTA JENETI VIKAR DATASAINIKHAI FRA HIN DIFFERENT MOTOR ROAD DOCX



1.6 (II)

प्रपत्र - 232

परियोजना का नाम :- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बनवद-पोली (गोवा) में माला विस्तार मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

कार्यालय उप जिलाधिकारी अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, 21/04/15

उपखण्ड 21/04/15 परिसर के अन्तर्गत माला विस्तार मोटर मार्ग आरक्षित वनभूमि 4.04 हे० सिविल एवं सोयम वनभूमि 5.49 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 9.53 हे० वनभूमि का ग्राम विकास प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वनअधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील प्रमोदखर्वा) की दिनांक 22/11/2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री श्री जी० पी० सिंह उपजिलाधिकारी
2. श्री श्री ए० पी० सिंह उप प्रभागीय वन अधिकारी
3. श्री श्री प्रमोद खर्वा समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री श्री श्री ३००० सी० क्षेत्र के वन अधिकारी

उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करने के बाद उपजिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों का अवगत वक्तव्य निम्न है कि प्रमोद खर्वा ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्राम सड़क का निर्माण माला विस्तार मोटर मार्ग के अन्तर्गत 4.04 हे० वनभूमि

अर्थात् प्रमोद खर्वा ग्राम सड़क के अन्तर्गत 4.04 हे० वनभूमि में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रमोद खर्वा ग्राम सड़क के अन्तर्गत ग्राम सड़क का कोई भाग लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सड़क द्वारा सर्व संहति से पारित प्रस्ताव का आधार पर सर्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्ताव की अनुमति दी गई है।

ग्राम सड़क का निर्माण उप प्रभागीय वन अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत नियम 2008 के अन्तर्गत प्रमाणित करने हेतु प्रमोद खर्वा ग्राम सड़क के अन्तर्गत ग्राम सड़क का कोई भाग लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का सम्बन्धित ग्राम सड़क द्वारा सर्व संहति से पारित प्रस्ताव का आधार पर सर्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्ताव की अनुमति दी गई है।

जिलाधिकारी



बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड प्रमोद नगर परिसर के जंगल में 50 वनभूमि परियोजना के निर्माण हेतु 4.665 हे० वनभूमि प्रयोजन एजेंसी की जनहित में न्यूनम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

पर सहमति व्यक्त की गयी।  
 उपजिलाधिकारी / उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
 सहसील  
 जनपद

प्रतिलिपि :- जिलाधिकारी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उपजिलाधिकारी / उपखण्ड न्यायालय  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील  
जनपद

LR-  
जिलाधिकारी  
अवध



FRA  
1.6 (I)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम:- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जलपद-पैरी  
(गढ़वाल) में आलाखोरा मोटर गाड़ी का निर्माण कार्य

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण- पत्र

ग्राम पंचायत का नाम..... आलाखोरा  
तहसील..... फरीदबाद जिला..... देहरादून

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जिला देहरादून उत्तराखण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत परियोजना के निर्माण हेतु (..... 4.045 हे० आरक्षित वन भूमि 4.46 हे० विभिन्न संयम भूमि 1.15 हे० वन पंचायत भूमि 1.15 हे०) अर्थात् कुल 9.545 हे० वन भूमि का प्रमाणित दिनांक/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत, आलाखोरा को सम्पन्न ग्राम समा/ ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा आवेदित वनभूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वनभूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा, कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/ कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वनभूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम समा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/ प्रस्ताव पुरित किया गया कि ग्राम आलाखोरा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रमाणित किया गया प्रयोक्ता एजेंसी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव



नोट:- यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा प्राप्त कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

DR-  
बिलाधिकारी  
गढ़वाल



1.6 (II)

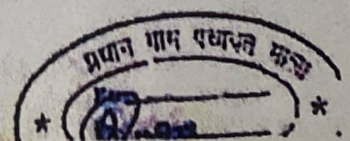
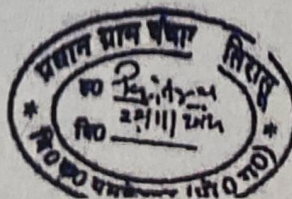
प्रपत्र- 23.1

दिनांक माला रिप को ग्राम जमा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत..... माला रिप

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्राम वासियों के नाम | हस्ताक्षर     |
|---------|---------------------------------------------------|---------------|
| (1)     | अमरसिंह                                           | अमरसिंह       |
| (2)     | नारायणसिंह                                        | नारायण सिंह   |
| (3)     | भदनासिंह                                          | भदनासिंह      |
| (4)     | आनन्दसिंह                                         | आनन्द सिंह    |
| (5)     | वृमेश सिंह                                        | रमेश सिंह     |
| (6)     | होशियार सिंह                                      | होशियार सिंह  |
| (7)     | उमेश सिंह                                         | उमेश सिंह     |
| (8)     | हरण सिंह                                          | हरण सिंह      |
| (9)     | सरदार सिंह                                        | सरदार सिंह    |
| (10)    | नन्दमोहनसिंह                                      | नन्दमोहन सिंह |
| (11)    | भारतसिंह                                          | भारत सिंह     |
| (12)    | गजवरसिंह                                          | गजवर सिंह     |
| (13)    | अनीलसिंह                                          | अनील सिंह     |
| (14)    | भगतसिंह                                           | भगत सिंह      |
| (15)    | प्रीतसिंह                                         | प्रीत सिंह    |
| (16)    | गोपालसिंह                                         | गोपाल सिंह    |
| (17)    | प्रकाशसिंह                                        | प्रकाश सिंह   |

LR-  
जिलाधिकारी  
बहाल





परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अर्न्तगत नौडखाल - माला कोटा मोटर मार्ग से सिरासु मोटर मार्ग (13.000 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल सोयम भूमि ग्राम माला स्थल, <sup>खं सिरासु</sup> वृक्षारोपण हेतु सर्वदा उपयुक्त है।

वन क्षेत्राधिकारी  
Range Officer  
Gohari Range  
Rajaji National Park

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
भूमि संरक्षण वन प्रभाग  
लेन्सडौन

प्रभागीय वनाधिकारी  
भूमि संरक्षण वनाधिकारी लेन्सडौन

वन्य जीव प्रतिप्रलोक  
राजाजी टाइगर रिजर्व,  
देहरादून।

self attested  
signature

निदेशक  
राजाजी टाइगर रिजर्व  
उत्तराखण्ड, देहरादून





## कार्यालय, वन क्षेत्राधिकारी, गोहरी रेंज

राजाजी टाईगर रिजर्व, देहरादून, उत्तराखण्ड.

कुनांऊ, बैराज, पोस्ट - गंगाभोगपुर, जिला पौड़ी गढ़वाल

Email :- gohari.range1986@gmail.com

पत्रांक 573 / 30

दिनांक 22.04.2025

सेवा में,

उप वन संरक्षक/उप निदेशक  
राजाजी टाईगर रिजर्व,  
देहरादून।

द्वारा :- वन्य जीव प्रतिपालक, चीला (हरिद्वार)

विषय :- जनपद - पौड़ी गढ़वाल में नोडखाल मालाकोटा रोड से सिरासू मोटर मार्ग ऑनलाईन प्रस्ताव  
संख्या - FP/UK/ROAD11142/2015

संदर्भ :- आपका पत्रांक 988/12-1 दिनांक 21 अप्रैल 2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के कम में जनपद- पौड़ी गढ़वाल में नोडखाल मालाकोटा से सिरासू मोटर मार्ग परियोजना निर्माण में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित -12.512 है0 सिविल भूमि को Silviculture scheme के तहत 10 वर्षीय योजना का प्राक्कलन तैयार कर मय संलग्नक सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

369  
121  
23/04/2025

*[Signature]*

उप निदेशक  
राजाजी टाईगर रिजर्व  
देहरादून

भवदीय

*[Signature]*

वन क्षेत्राधिकारी  
गोहरी रेंज,  
राजाजी टाईगर रिजर्व

पत्रांक 773/20 दिनांक 22/04/2025

*[Signature]*

उप निदेशक (हरिद्वार)  
राजाजी टाईगर रिजर्व

सेवा में,  
उप निदेशक / उप वन संरक्षक, रांढाकोटा  
की सेवा में मूल में अग्रसारित।



# स्थल विशिष्ट योजना ( सहायतित प्राकृति पुनरोत्पादन कार्य) (एस0एस0पी0)

## 1. स्थान का विवरण

|                                    |                                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|
| (1) रेंज का नाम :-                 | गोहरी रेंज                                       |
| (2) ब्लॉक एवं कक्ष सं० -           | चयनित सिविल क्षेत्र कोश                          |
| (3) सकल क्षेत्रफल हैक्टयर में :-   | 12.81 हैक्टयर                                    |
| (4) शुद्ध क्षेत्रफल हैक्टयर में :- | 12.50 हैक्टयर                                    |
| (5) जी0पी0एस0 लोकेशन :-            | अक्षांश 30 07' 54.16"<br>देशान्तर 078 24' 46.62" |

## 2. क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पतियां

### (1) वृक्ष प्रजाति

बाकली रोहणी, मालझन, हल्दु, कुसुम, सांदन, सैन, मन्दार एवं अंजीर

(2) झाडियां - लैन्टाना, गाजरघास, बांसा, मीठानीम, बेर पनवाड आदि

## 3. क्षेत्र में पाये जाने वाले वन्य प्राणी

### (1) पशु :-

भालू, गुलदार, सुअर,  
काकड, खरगोश, सियार लंगूर, बन्दर आदि

### (2) पक्षी :-

मोर, मुर्गा, तीतर, धनेर, कबूतर, तौता आदि

## 4. प्राकृतवास सुधार के उद्देश्य

(क) प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक रोजगार योजना के अंतर्गत आरक्षित वन माला क0सं0 1,2,3 प्रस्तावित मोटर मार्ग के संमरेखण में उपयुक्त भूमि के बदले कोटा गांव सिविल क्षेत्र से भूमि हस्तान्तरण पर क्षतिपूरक वनीकरण हेतु सहायतित पुनरोत्पादन कार्य करना।

*Ryash*  
वन क्षेत्राधिकारी  
गोहरी रेंज  
राजाजी टाईगर रिजर्व



## क्षेत्र का पिछला इतिहास

प्रश्नगत क्षेत्र तत्कालीन लैंसडोन वन प्रभाग से बीट सहित क्षेत्र वर्ष 2002 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क को हस्तान्तरित है, जहां संरक्षण एवं सुधार कार्यवृत्त के अंतर्गत क्षेत्र मिश्रित वनो आच्छादित है।

क्षेत्र का ढाल :- विभिन्न दिशाओं में

भूतल रूप तथा मिट्टी का प्रकार

1. भूतल रूप - अतिदुंगारो (पहाड़ी क्षेत्र)
2. वन का प्रकार - मिश्रित वन
3. मिट्टी का प्रकार - बलुई दोमट, मिश्रित

जलवायु सम्बन्धी सूचना

1. तापमान - अधिकतम 43 डिग्री से०,
2. वर्षा - अधिकतम

न्यूनतम 5 डिग्री से०  
न्यूनतम

  
वन क्षेत्र अधिकारी  
गोहरी रेंज  
राजाजी टाईगर रिजर्व



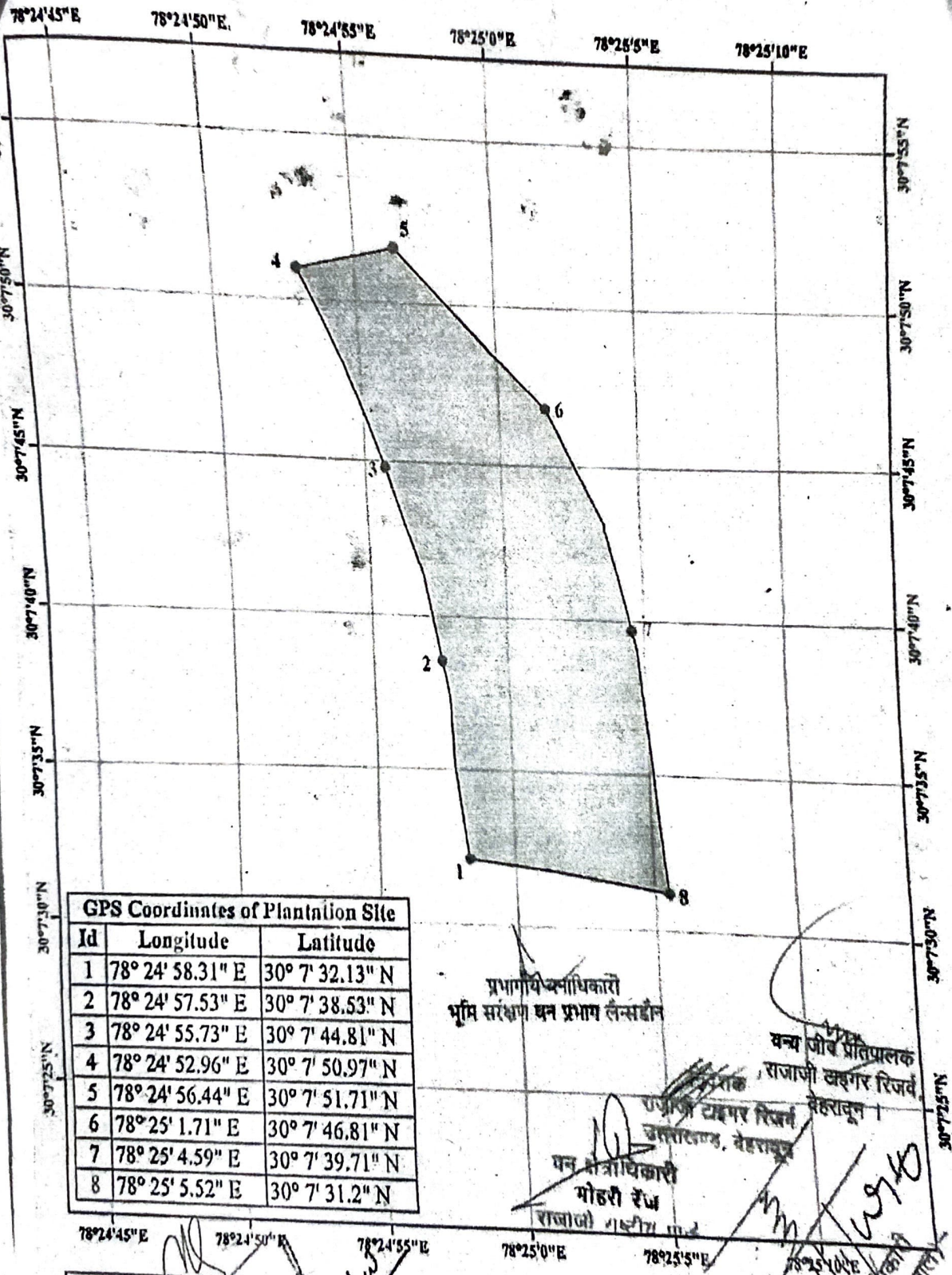
[illegible]

| AREA STATEMENT   |       |                |
|------------------|-------|----------------|
| Component        | Class | Amount in Bill |
| 1. Telephone 1   |       | 000.00         |
| 2. Telephone 2   |       | 000.00         |
| 3. Telephone 3   |       | 000.00         |
| 4. Telephone 4   |       | 000.00         |
| 5. Telephone 5   |       | 000.00         |
| Total Amount Due |       | 000.00         |

Ryot  
वन क्षेत्राधिकारी  
गोहरी रेंज  
राजाजी लाईगर रिज



रिजिस्ट्रार मैप :- जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नोडखाल-माला कोटा से सिरासु मोटर मार्ग के बसुनिर्माण कार्य हेतु वृक्षारोपण स्थल (क्षेत्रफल 12.512 है०)



| GPS Coordinates of Plantation Site |                  |                 |
|------------------------------------|------------------|-----------------|
| Id                                 | Longitude        | Latitude        |
| 1                                  | 78° 24' 58.31" E | 30° 7' 32.13" N |
| 2                                  | 78° 24' 57.53" E | 30° 7' 38.53" N |
| 3                                  | 78° 24' 55.73" E | 30° 7' 44.81" N |
| 4                                  | 78° 24' 52.96" E | 30° 7' 50.97" N |
| 5                                  | 78° 24' 56.44" E | 30° 7' 51.71" N |
| 6                                  | 78° 25' 1.71" E  | 30° 7' 46.81" N |
| 7                                  | 78° 25' 4.59" E  | 30° 7' 39.71" N |
| 8                                  | 78° 25' 5.52" E  | 30° 7' 31.2" N  |

प्रभागीय स्थाधिकारी  
भूमि संरक्षण वन प्रभाग लेन्सहौल

वन्य जीव प्रतिपालक  
राजाजी खड्ग रजिस्ट्रार  
देहरादून

वन क्षेत्राधिकारी  
मोहरी रेंज  
राजाजी गढ़वाल

**Legend**

- GPS Coordinates
- CA Land

अधिरासी अभियन्ता  
मो० प्रमो जी० एस० बा०  
माला कोटा (गढ़वाल) तहसीलदार  
यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल  
Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

Scale: 1:5,000





☐ Range Boundary  
☒ Reserve Forest Area  
☐ Division Boundary  
☐ Proposed Land

तहसीलदार

Prepared by P.C., PCCF Office, Dehradun



गोहरी रेंज, राजाजी टाईगर रिजर्व

136149.00







कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांक:- 1318 / 12-1, लैन्सडौन, दिनांक, 16/12/2024

सेवा में,

निदेशक,  
राजाजी टाईगर रिजर्व,  
देहरादून।

विषय:- जनपद-पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल-माला-कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग (लम्बाई 13 किमी) के निर्माण हेतु 8.821 हे० (Earlier Proposed 9.541 ha.) वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- आपका पत्रांक 1457 / 12-1 दिनांक 14.11.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नोडखाल-माला-कोटा मोटर मार्ग में सिरासू मोटर मार्ग के निर्माण हेतु हस्तान्तरित की जाने वाली वन भूमि के सापेक्ष क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम कसाण पट्टी उदयपुर पल्ला तहसील यमकेश्वर जनपद पौड़ी गढ़वाल नॉन०जेड०ए० खतोनी खाता संख्या- 15 श्रेणी 9(3)(ख)(2), जिसमें अन्य प्रकार के वृक्ष झाड़ियां पायी जाती है। खसरा संख्या- 1359 रकवा 8.590 हे० मध्ये 5.130 हे० भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण की स्वीकृति जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा की गयी है।

अतः इस वन प्रभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि कब्जे में लेने सम्बन्धी प्रमाण पत्र, क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। तथा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि का 1:50000 पैमाने का डिजीटल मानचित्र, जियोरिफरेन्स मानचित्र प्रस्ताव विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी।

संलग्न:- तीन प्रतियों में उपरोक्तानुसार

कार्यालय में रा० टा० रि०

आपका पत्रांक 9048

संख्या 12-1

दिनांक 21-12-2024

.....आ० का० करे

.....आख्या देवें।

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पंत)

प्रभागीय वनाधिकारी,

भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।

पत्रांक:- / दिनांकित।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, गढ़वाल पौड़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- उप प्रभागीय वनाधिकारी, भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन को इस आशय से प्रेषित कि आप उक्त तिथि को संयुक्त निरीक्षण में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियंता पी०एम०जी०एस०वाई० दुगड़डा को इस आशय से प्रेषित की क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित सिविल भूमि का 1:50000 पैमाने का डिजीटल मानचित्र, जियोरिफरेन्स मानचित्र की तीन-तीन प्रतियों में निदेशक, राजाजी टाईगर रिजर्व देहरादून को उपलब्ध कराते हुये 01 प्रति भी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(नवीन चन्द्र पंत)  
प्रभागीय वनाधिकारी,  
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन।



परियोजना का नाम - जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्रस्तावित नौडखाल-माला-कोटा मोटर मार्ग से सिरासू मोटर मार्ग (लम्बाई 13 किमी) के निर्माण हेतु 8.82 है० वन भूमि का घेर वानिकी कार्य हेतु ग्राम में विकास का प्रत्यावर्तन

अक्षांतर :- N 29°57'39.24" देशान्तर:- E 78°19'57.40"

स्थल का क्षेत्रफल - 5.130 है०

भूमि संरक्षण वन प्रभाग, लैन्सडौन

| क्र० सं०                                                   | कार्य का विवरण                                                                                                                                                           | ईकाई         | दर       | धनराशि    |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|-----------|
| 1                                                          | 2                                                                                                                                                                        | 3            | 4        | 5         |
| प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य                                |                                                                                                                                                                          |              |          |           |
| 1                                                          | सर्वे प्लॉट का चिह्निकरण एवं सीमांकन (प्रति है० में 0.10 है० के 5 प्लॉट, प्रत्येक प्लॉट 04 पिलरो से घिरा रहेगा)                                                          | 5.130 है०    | 230.00   | 1179.90   |
| 2                                                          | जैव विविधता व पुनर् उत्पादन सर्वेक्षण                                                                                                                                    | 5.130 है०    | 193.00   | 990.09    |
| 3                                                          | साईड स्पेसिफिक प्लान (सर्वे डिमांडेशन, के०एम०एल० फाईल तैयार करना, रूट स्टॉक की गणना कार्य, मृदा परीक्षण कार्य)                                                           | 5.130 है०    | 1127.00  | 5781.51   |
| 4                                                          | क्षेत्र की सफाई                                                                                                                                                          | 5.130 है०    | 1686.00  | 8649.18   |
| घेरबाड कार्य                                               |                                                                                                                                                                          |              |          |           |
| 5 कुली वाल (484.785 घ०मी० प्रति है० 769.5 र०मी० प्रति है०) |                                                                                                                                                                          | 484.79 घ०मी० | 528.00   | 255966.48 |
| काटेदार तारबाड (100 घ०मी०)                                 |                                                                                                                                                                          |              |          |           |
| 6                                                          | भूमि संरक्षण कार्य<br>1- कन्दूर फर्रे 800 र०मी० (800×31 = 24800)<br>औसत साईज-1×0.30×0.30<br>2-चाल-खाल 2 सं० (2×5000 = 10000)<br>औसत साईज - 4×2.5×1.00<br>कुल योग - 34800 | 5.130 है०    | 34800.00 | 178524.00 |
|                                                            | तारबाड के साथ दो लड़ सोलर फेंसिंग कार्य                                                                                                                                  | 5.130 है०    | -        | 58995.00  |
| 7                                                          | बांज/बांज सहचरी/साल/साल सहचरी/चीड़ क्षेत्रों में सहचरी (बांस/काफल/फल्यांट/बुरांश) हैज नुमा पौधों की सिंगलिंग कार्य 770 पौध                                               | 770 पौध      | 12.00    | 9240.00   |
| 8                                                          | उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की थावलाबंदी तथा मल्लिंग एक बार 1026 पौध                                                          | 1026 पौध     | 3.30     | 3385.80   |
| 9                                                          | उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुडाई प्रथम बार 1026 पौध                                                                 | 1026 पौध     | 4.08     | 4186.08   |
| 10                                                         | उक्त क्षेत्रों में उपरोक्त प्रजातियों के प्राकृतिक रूप से उग रहे पौधों की निराई गुडाई द्वितीय बार 1026 पौध                                                               | 1026 पौध     | 1.77     | 1816.02   |
| 11                                                         | पौध की कीमत 1026 पौध (1.5 वर्ष की पौध)                                                                                                                                   | 1026 पौध     | 19.86    | 20376.36  |
| 12                                                         | गड्डा खुदान कार्य (0.30×0.30×0.45)                                                                                                                                       | 1026 गड्डा   | 12.0     | 12312.00  |
| 13                                                         | निरीक्षण बटिया                                                                                                                                                           | 5.130 है०    | 1223.00  | 6273.99   |
| 14                                                         | खाद/रसायन                                                                                                                                                                | 1026 पौध     | 0.60     | 615.60    |
| 15                                                         | देख रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 8 माह                                                                                                                                    | 8 माह        | 4890.00  | 39120.00  |
| 16                                                         | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                                                                                                                  |              | Total    | 607412.01 |
| 17                                                         | श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                                                                                                         |              |          | 3037.06   |
| 18                                                         | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत                                                                     |              |          | 3037.06   |
| 19                                                         | कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                                                                                                                |              |          | 6074.12   |
| 20                                                         | अन्य आकस्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                                                                                                            |              |          | 6074.12   |
| 21                                                         | मृदा एवं जल संरक्षण कार्य (भू-क्षरण रोकने हेतु चैक डेम)                                                                                                                  |              |          | 12148.24  |
| प्रथम चरण का योग                                           |                                                                                                                                                                          |              |          | 278000.00 |
|                                                            |                                                                                                                                                                          |              |          | 915782.61 |
| या                                                         |                                                                                                                                                                          |              |          | 915659.00 |



**द्वितीय चरण पौधारोपण कार्य**

|    |                                                                                                      |                  |              |                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------------------|
| 1  | गड़ड़ा भरान                                                                                          |                  |              |                  |
| 2  | स्थानीय बीज एकत्रीकरण/कय करना                                                                        | 1026 प्रोगडा     | 2.00         | 2052.0           |
| 3  | कन्दूर फरों में बीज बुआई                                                                             | 25.65 कि०ग्रा०   | 140.00       | 3591.0           |
| 4  | पौध की कीमत                                                                                          | 1026 रोमी०       | 3.0          | 3078.0           |
| 5  | वाहन द्वारा 30 कि०मी० दूरी से लॉडिंग व अनलोडिंग सहित                                                 | 1026 पौध         | 2.67         | 2739.42          |
|    |                                                                                                      | 1026 पौध         | 3.31         | 3396.06          |
| 6  | सिरबोझ दुलान 03 कि०मी० तक                                                                            | 61.56 सै०/कि०मी० | 15.0         | 923.4            |
| 7  | पौध रोपण                                                                                             | 1026 पौध         | 3.42         | 3508.92          |
| 8  | निराई-गुडाई, मल्विंग एवं थावला बन्दी प्रथम बार                                                       | 14364 पौध        | 4.08         | 58605.12         |
| 9  | निराई-गुडाई द्वितीय बार                                                                              | 14364 पौध        | 1.77         | 25424.28         |
| 10 | खाद/रसायन                                                                                            | 14364 पौध        | 0.60         | 8618.40          |
| 11 | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह                                                               | 12.0 माह         | 4890.00      | 58680.00         |
| 12 | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी० पट्टी साफ करना।                              | 5.130 है०        | 237.00       | 1215.81          |
|    |                                                                                                      |                  | <b>Total</b> | <b>171832.41</b> |
| 13 | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                                              |                  |              | 859.16           |
| 14 | श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                                     |                  |              | 859.16           |
|    | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत |                  |              | 1718.32          |
| 16 | कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                                            |                  |              | 1718.32          |
| 17 | अन्य आकास्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                                       |                  |              | 3436.65          |
|    | <b>द्वितीय चरण का योग</b>                                                                            |                  |              | <b>180424.03</b> |
|    |                                                                                                      |                  | या           | <b>180063.00</b> |
|    | <b>तृतीय चरण - अनुरक्षण कार्य</b>                                                                    |                  |              |                  |
| 1  | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह                                                               | 12 माह           | 4890.00      | 58680.00         |
| 2  | निराई-गुडाई प्रथम बार                                                                                | 14364 पौध        | 4.08         | 58605.12         |
| 3  | निराई-गुडाई द्वितीय बार                                                                              | 14364 पौध        | 1.77         | 25424.28         |
| 4  | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी० पट्टी साफ करना।                              | 5.13 है०         | 237.00       | 1215.81          |
|    |                                                                                                      |                  | <b>Total</b> | <b>143925.21</b> |
| 5  | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                                              |                  |              | 719.63           |
| 6  | श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                                     |                  |              | 719.63           |
|    | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत |                  |              | 1439.25          |
| 8  | कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                                            |                  |              | 1439.25          |
| 9  | अन्य आकास्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                                       |                  |              | 2878.50          |
|    | <b>तृतीय चरण का योग</b>                                                                              |                  |              | <b>151121.47</b> |
|    |                                                                                                      |                  | या           | <b>150822.00</b> |
|    | <b>चतुर्थ चरण - अनुरक्षण कार्य</b>                                                                   |                  |              |                  |
| 1  | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह                                                               | 12 माह           | 4890.00      | 58680.00         |
| 2  | निराई-गुडाई प्रथम बार                                                                                | 14364 पौध        | 4.08         | 58605.12         |
| 3  | निराई-गुडाई द्वितीय बार                                                                              | 14364 पौध        | 1.77         | 25424.28         |
| 4  | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी० पट्टी साफ करना।                              | 5.13 है०         | 237.00       | 1215.81          |
|    |                                                                                                      |                  | <b>Total</b> | <b>143925.21</b> |
| 5  | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                                              |                  |              | 719.63           |
| 6  | श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                                     |                  |              | 719.63           |
|    | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत |                  |              | 1439.25          |
| 8  | कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                                            |                  |              | 1439.25          |
| 9  | अन्य आकास्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                                       |                  |              | 2878.50          |
|    | <b>चतुर्थ चरण का योग</b>                                                                             |                  |              | <b>151121.47</b> |
|    |                                                                                                      |                  | या           | <b>150822.00</b> |
|    | <b>पंचम चरण - अनुरक्षण कार्य</b>                                                                     |                  |              |                  |



|                                                                                     |           |              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------|
| 1 देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह                                            | 12 माह    | 4890.00      | 58680.00            |
| 2 निराई-गुड़ाई प्रथम बार                                                            | 14364 पौध | 4.08         | 58605.12            |
| 3 निराई-गुड़ाई द्वितीय बार                                                          | 14364 पौध | 1.77         | 25424.28            |
| 4 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।           | 5.13 है0  | 237.00       | 1215.81             |
| 5 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                           |           | <b>Total</b> | <b>143925.21</b>    |
| 6 श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                  |           |              | 719.63              |
| वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर |           |              | 719.63              |
| 7 व्यय - 1 प्रतिशत                                                                  |           |              |                     |
| 8 कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                         |           |              | 1439.25             |
| 9 अन्य आकास्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                    |           |              | 1439.25             |
| पंचम चरण का योग:-                                                                   |           |              | 2878.50             |
|                                                                                     |           |              | <b>151121.47</b>    |
| षष्ठम चरण - अनुरक्षण कार्य                                                          |           |              | या <b>150822.00</b> |
| 1 देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह                                            | 12 माह    | 4890.00      | 58680.00            |
| 2 निराई-गुड़ाई प्रथम बार                                                            | 14364 पौध | 4.08         | 58605.12            |
| 3 निराई-गुड़ाई द्वितीय बार                                                          | 14364 पौध | 1.77         | 25424.28            |
| 4 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।           | 5.13 है0  | 237.00       | 1215.81             |
| 5 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                           |           | <b>Total</b> | <b>143925.21</b>    |
| 6 श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                  |           |              | 719.63              |
| वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर |           |              | 719.63              |
| 7 व्यय - 1 प्रतिशत                                                                  |           |              | 1439.25             |
| 8 कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                         |           |              | 1439.25             |
| 9 अन्य आकास्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                    |           |              | 2878.50             |
| षष्ठम चरण का योग:-                                                                  |           |              | <b>151121.47</b>    |
|                                                                                     |           |              | या <b>150822.00</b> |
| सप्तम चरण - अनुरक्षण कार्य                                                          |           |              |                     |
| 1 देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह                                            | 12 माह    | 4890.00      | 58680.00            |
| 2 निराई-गुड़ाई प्रथम बार                                                            | 14364 पौध | 4.08         | 58605.12            |
| 3 निराई-गुड़ाई द्वितीय बार                                                          | 14364 पौध | 1.77         | 25424.28            |
| 4 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।           | 5.13 है0  | 237.00       | 1215.81             |
| 5 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                           |           | <b>Total</b> | <b>143925.21</b>    |
| 6 श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                  |           |              | 719.63              |
| वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर |           |              | 719.63              |
| 7 व्यय - 1 प्रतिशत                                                                  |           |              | 1439.25             |
| 8 कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                         |           |              | 1439.25             |
| 9 अन्य आकास्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                    |           |              | 2878.50             |
| सप्तम चरण का योग:-                                                                  |           |              | <b>151121.47</b>    |
|                                                                                     |           |              | या <b>150822.00</b> |
| अष्टम चरण - अनुरक्षण कार्य                                                          |           |              |                     |
| 1 देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह                                            | 12 माह    | 4890.00      | 58680.00            |
| 2 निराई-गुड़ाई प्रथम बार                                                            | 14364 पौध | 4.08         | 58605.12            |
| 3 निराई-गुड़ाई द्वितीय बार                                                          | 14364 पौध | 1.77         | 25424.28            |
| 4 सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।           | 5.13 है0  | 237.00       | 1215.81             |
| 5 मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                           |           | <b>Total</b> | <b>143925.21</b>    |
| 6 श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                  |           |              | 719.63              |
| वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर |           |              | 719.63              |
| 7 व्यय - 1 प्रतिशत                                                                  |           |              | 1439.25             |
| 8 कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                         |           |              | 1439.25             |



|                                              |                                                                                                      |           |              |        |                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------|------------------|
| 9                                            | अन्य आकास्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                                       |           |              |        | 2878.50          |
| अष्टम चरण का योग:-                           |                                                                                                      |           |              |        | 151121.47        |
|                                              |                                                                                                      |           |              | या     | 150822.00        |
| नवम चरण - अनुरक्षण कार्य                     |                                                                                                      |           |              |        |                  |
| 1                                            | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह                                                               | 12 माह    | 4890.00      |        | 58680.00         |
| 2                                            | निराई-गुडाई प्रथम बार                                                                                | 14364 पौघ | 4.08         |        | 58605.12         |
| 3                                            | निराई-गुडाई द्वितीय बार                                                                              | 14364 पौघ | 1.77         |        | 25424.28         |
| 4                                            | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।                              | 5.13 है0  | 237.00       |        | 1215.81          |
|                                              |                                                                                                      |           | <b>Total</b> |        | <b>143925.21</b> |
| 5                                            | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                                              |           |              |        | 719.63           |
| 6                                            | श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                                     |           |              |        | 719.63           |
| 7                                            | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत |           |              |        | 1439.25          |
| 8                                            | कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                                            |           |              |        | 1439.25          |
| 9                                            | अन्य आकास्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                                       |           |              |        | 2878.50          |
| नवम चरण का योग:-                             |                                                                                                      |           |              |        | 151121.47        |
|                                              |                                                                                                      |           |              | या     | 150822.00        |
| दशम चरण - अनुरक्षण कार्य                     |                                                                                                      |           |              |        |                  |
| 1                                            | देख-रेख व रख-रखाव रोपण वर्ष में 12 माह                                                               | 12 माह    | 4890.00      |        | 58680.00         |
| 2                                            | निराई-गुडाई प्रथम बार                                                                                | 14364 पौघ | 4.08         |        | 58605.12         |
| 3                                            | निराई-गुडाई द्वितीय बार                                                                              | 14364 पौघ | 1.77         |        | 25424.28         |
| 4                                            | सुरक्षा दीवाल/घेरबाड़ के बाहर अग्नि सुरक्षा हेतु 04 मी0 पट्टी साफ करना।                              | 5.13 है0  | 237.00       |        | 1215.81          |
|                                              |                                                                                                      |           | <b>Total</b> |        | <b>143925.21</b> |
| 5                                            | मूल्यांकन एवं अभिलेखीकरण - 0.50 प्रतिशत                                                              |           |              |        | 719.63           |
| 6                                            | श्रम कल्याण कार्य - 0.50 प्रतिशत                                                                     |           |              |        | 719.63           |
| 7                                            | वृक्षारोपण क्षेत्र की निगरानी एवं निरीक्षण हेतु वाहन किराया, रखरखाव, ईंधन व अन्य पर व्यय - 1 प्रतिशत |           |              |        | 1439.25          |
| 8                                            | कार्यालय व्यय - स्टेशनरी, हार्डवेयर/साफ्टवेयर - 1 प्रतिशत                                            |           |              |        | 1439.25          |
| 9                                            | अन्य आकास्मिक व्यय - 2 प्रतिशत                                                                       |           |              |        | 2878.50          |
| दशम चरण का योग:-                             |                                                                                                      |           |              |        | 151121.47        |
|                                              |                                                                                                      |           |              | या     | 150822.00        |
|                                              |                                                                                                      |           |              | महायोग | 2302298.00       |
| रूपये (तेइस लाख दो हजार दो सौ अठान्चे) मात्र |                                                                                                      |           |              |        |                  |

वन क्षेत्र अधिकारी,  
ताल राजि

उप प्रभागीय वनाधिकारी  
उप प्रभागीय वनाधिकारी  
भूमि संरक्षण वन प्रभाग  
लैन्सडोन

प्रभागीय वनाधिकारी  
भूमि संरक्षण वन प्रभाग  
लैन्सडोन